न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 324/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/517

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अशोककुमार पुत्र जोगाराम 2.केशाराम पुत्र जोगाराम 3.चम्पादेवी पत्नि जोगाराम 4.जसराज पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.गुलाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा 2.कोनीदेवी पत्नि कल्लाराम जाति जाट निवासी कपूरड़ी तहसील बाड़मेर 3.हरीश पुत्र कल्लाराम नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कोनूदेवी पत्नि कल्लाराम जाति जाट निवासी कपूरड़ी तहसील बाड़मेर 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रोहित सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
3. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3
4. विप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 24/03/25

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 70 कायम हुए। मूल खसरा संख्या 70 से विभक्त होकर खसरा संख्या 688/70,763/70 व 819/70 बने। खसरा संख्या 688/70 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है,खसरा संख्या 763/70 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 819/70 विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर क़ब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन विवादित आराज़ी की मौका स्थिति से विपरीत जाकर लटढा नक्शा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम किए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अंत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण का मौके पर माफिक कब्जा काश्त परिशिष्ट अ एवं पंजीकृत दस्तावेज संख्या 695/2004 दिनांक 16.4.2004 के पृष्ठ संख्या 03 के पैरा संख्या 06 में अंकित तथ्यो अनुसार नक्शा लटढा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रोहित सोलंकी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण के आवेदन तथ्यो को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 वक्त बहस उपस्थित नही हुए।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुएं बहस में निवेदन किया कि ग्राम भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 70 कायम हुए। मूल खसरा संख्या 70 से विभक्त होकर खसरा संख्या 688/70,763/70 व 819/70 बने। खसरा संख्या 688/70 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है,खसरा संख्या 763/70 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 819/70 विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन विवादित आराजी की मौका स्थिति से विपरीत जाकर लटढा नक्शा ट्रेस में अशुद्व तरमीम किए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चारो तरफ तारबंदी एवं खाई खोदी हुए है। अशुद्व तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विदयमान तरमीम को अपास्त करते हुए प्रार्थीगण का माफिक कब्जा काश्त परिशिष्ट अ एवं पंजीकृत दस्तावेज संख्या 695/2004 के पैरा संख्या 06 में अंकित तथ्यो अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का मौके पर कब्जा काश्त मुताबिक ही तरमीम हो रखी है। विप्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खसरा संख्या 763/70 की पैमाईश करते हुए नेखम स्थापित करवाने के लिए नेखमबंदी आवेदन पेश किया गया। उक्त आवेदन की कार्यवाही को येन केन प्रकार से लंबित करने की मंशा रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा सारहीन तथ्यो के आधार पर आवेदन लाया गया है,जिसमें कोई सारभूत तथ्य निहित नही है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) कालोतरा

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 688/70 प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है,खसरा संख्या 763/70 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 819/70 विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया कि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा विवादित आराजी मे से 02 बीधा भूमि खरीद की गई,उक्त बेचानपत्र संख्या 695/2004 के पृष्ठ संख्या 03 पैराज संख्या 06 में वर्णित तथ्यो,उक्त बेचान भूमि मौके पर 186.68 वर्गफीट लम्बाई की समान चारो भुजाओ से आपका कब्जा करवा दिया है,के अनुसार तरमीम जानी थी,लेकिन इसके विपरीत तरमीम किए जाने के कारण विदयमान तरमीम को अपास्त करते हुए पंजीकृत दस्तावेज 695/2004 के पैराज संख्या 06 अनुरूप तरमीम की जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है,जिससे स्पष्ट होता हो कि विदयमान तरमीम दस्तावेज अनुरूप हो रखी है अर्थात प्रार्थी पक्ष के उजर का खण्डन नही कर पाए। विप्रार्थी पक्ष द्वारा तर्क रखा गया कि विप्रार्थी संख्या 763/70 की नेखमबंदी प्रकरण को रोकने के लिए आवेदन लाया गया है,जो कि तर्क स्वीकार योग्य नही है,क्योकि मूल खसरा संख्या 70 से विभक्त होकर बने खसरान की पुनः पैमाईश करवाते हुए यदि तरमीम दुरूस्ती की जाती है,तो विप्रार्थी के उजर का भी निस्तारण हो जाऐगा। इस कारण प्रार्थीगण के आवेदन मे सारवान तथ्य निहित है,लेकिन न्यायालय हाजा प्रकरण को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता है,क्योकि उभय पक्षकारान द्वारा ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही गए,जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि तरमीम दुरूस्ती बिना पैमाईश भी की जा सकती है। इस कारण विदयमान तरमीम को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता हैं।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 688/70,763/70 व 819/70 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आप स्वंय विवादित आराजी का मौका मुआयना करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विवादित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आराजी की पैमाईश करवाकर मौका स्थिति एवं पंजीकृत बेचानपत्र संख्या 695/2004 को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/3/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
24/03/2025